



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042025-262761
CG-DL-E-29042025-262761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1882]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/वैशाख 9, 1947

No. 1882]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/VAISAKHA 9, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2025

का.आ. 1924(अ).— केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिमी बंगाल), में लगी हुई सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 25 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4823(अ), तारीख 6 नवंबर, 2024 द्वारा तारीख 6 नवंबर, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग उपक्रम को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग उपक्रम की लोक उपयोगिता सेवा के रूप में प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त औद्योगिक उपक्रम में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 06 मई, 2025 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2023-आईआर (पीएल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2025

S.O. 1924(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran (P) Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal), which are covered under item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industrial undertaking to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of 6th November, 2024, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 4823(E), dated the 6th November, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial undertakings for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-clause(vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being satisfied that the public interest so requires, hereby declares the services engaged in the said industrial undertakings to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 6th May 2025.

[F. No. S-11017/2/2023-IR (PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.